बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के श्रम बजट एवं योजनाओं का अनुमोदन

16, 17 एवं 18 दिसम्बर 2016 को सभी पंचयतों में ग्राम सभा का आयोजन कर योजनाओं का अनुमोदन

ग्रामवासिओं का प्रयास अपने विकास एवं अधिकारों के लिये एक साथ फिर एक बार

- सामुदायिक योजना का सहभागी प्रक्रिया द्वारा चयन ।
- सभी योजनाओ का ग्राम सभा से प्राथमिकताओं का निर्धारण एवं अनुमोदन ।
- विभिन्न कार्यक्रम के अभिसरण से योजनाओं का चयन ।
- निजी भूमि पर ली जाने वाली योजनाओं के लिए व्यक्तिगत आवेदन प्राप्ति ।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से सम्बंधित योजनाओं (जल संरक्षण, वृक्षारोपण, लघु सिंचाई आदि) के चयन पर अधिक जोर ।
- कृषि एवं तत्संबंधी कार्यों के चयन पर प्राथमिकता ।

निजी भूमि या गृह स्थल पर अनुमान्य कार्य

- गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई, बागवानी, वृक्षारोपण इत्यादि
  - निजी तालाब, सिंचाई सुविधा (निजी कूप आदि),
  - बागवानी, वृक्षारोपण,
  - मेढ़बंधन (खेत बांध),
  - भूमि विकास का उपबंध
- कृषि संबंधित कार्य
  - एनएडीइपी कपोंस्टिग (NADEP) (गड्ढे में कृषि अपशिस्ट, गोबर तथा मिट्टी को मिला कर जैव घटक को जैविक तरीके से खाद मिट्टी में बदलना)
  - वर्मी कंपोस्टिंग (केंचुये का उपयोग कर कृषि अपशिष्ट, गोबर इत्यादि को खाद मिट्टी में बदलना)
  - लिक्विड बायो-मेन्योर (तरल जैव खाद जैसे जीवामृत, संजीवक,)
- पशुपालन संबंधित कार्य
  - कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल,
  - मवेशियों के लिए पक्का फर्श, यूरीन टैंक तथा नाद का निर्माण
  - अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक
- व्यक्तिगत घरेलू पखाने (शौचालय)
- मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुसार अन्य अनुमान्य श्रेणी के कार्य

निम्न श्रेणियों के जॉब कार्डधारी परिवारों के अपने (स्वामित्व) की भूमि या वास की भूमि पर इस प्राथमिकता क्रम में कार्य अनुमान्य है:-

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार
- भूमि सुधारों लाभार्थी (पर्चाधारी)
- इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी
- अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारम्परिक (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) के अधीन लाभार्थी
- लघु या सीमांत कृषकों